न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 33 / 2017

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 03 / 05 / 2017

निर्णय दिनांक : 02/02/2021

श्रीमती संतोष देवी पुत्री देवकरण धर्मपत्नी जयनारायण व्यस्क जाति कुमावत, निवासी बोराज हाल निवासी मण्डा भीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रार्थीया

बनाम

1. देवकरण पुत्र कल्याण व्यस्क जाति कुम्हार निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती चौथी देवी पुत्री देवकरण धर्मपत्नी गुलाबचन्द व्यस्त, जाति कुमावत निवासी बोराज हाल निवासी संजीवनी हॉस्पिटल के पास, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर, जिला जयपुर।
3. सुश्री तन्नू पुत्री (स्व0 बीना) गोविन्दराम जाति कुमावत निवासी राधारियों का बास तन हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
4. पवन पुत्र (स्व0 बीना) गोविन्दराम जाति कुमावत निवासी राधारियों का बास तन हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
5. श्रीमती अनीता पुत्री देवकरण धर्मपत्नी प्रेमचन्द, जाति कुमावत निवासी राधारियों का बास तन हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
6. श्रीमती कमलेश पुत्री देवकरण धर्मपत्नी राजेन्द्र, जाति कुमावत, निवासी बबेरवाल की ढाणी तन जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
7. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री भगवानसिंह राजावत**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

श्री कैलाशचन्द जाट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6

तथा अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय दिनांक 02/02/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1064, 1065, 1066, 1067 कुल किता 4 कुल रकबा 2.9900 हैक्टेयर व साबिक आराजी खसरा नम्बर 1626, 1625, 1624, 1623, वाके ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें से 1/4 हिससे की आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण 1 से 6 की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है जिसमें प्रार्थीनी का 1/24 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3, 4 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/24 अप्रार्थी संख्या 6 का 1/24 हिस्सा है। विवादित आराजी में 1/4 हिस्से पर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण 1 से 6 सयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अप्रार्थी संख्या 1 के मार्फत जमा कराते आ रहे है। उपरोक्त सिजरानुसार प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण 1 से 6 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6 अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा पुत्रीया तथा अप्रार्थी 3, 4 स्व0 बीना जो अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री है के पुत्र व पुत्री है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी का वरवक्त पर्चा सैटलमैन्ट पर्चा खातेदारी कल्याण पुत्र रामचन्द के नाम से आया था जो अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6 के दादा व अप्रार्थी संख्या 3, 4 के दादा थे। कल्याण का स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 परिवार का बडा व कर्ता होने के कारण 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण अकेले ने खुलवा लिया जो प्रार्थीनी के 1/24 हिस्से तक एक ईनिशियों वोईड है। प्रार्थीनी का सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की आराजी का नामान्तकरण अकेले अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खुलवाकर खातेदारी की जानकारी प्रार्थीनी को होने पर प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उसका 1/24 हिस्सा नाम लगवाने को कई मर्तबा कहा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी का उसका 1/24 हिस्सा नाम लगवाने का आश्वासन देता रहा इसलिये प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 कि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

विरूद्व कोई कार्यवाही नही की। दिनांक 27.03.2017 को प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उसका 1/24 हिस्सा नाम लगवाने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी को इन्कार हो गया तथा प्रार्थीनी से कहा विवादित आराजी में से मेरा 1/4 हिस्सा मैने जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 3 व 6 को विक्रय कर नामान्तरकरण खुलवाकर जमाबंदी में नाम दर्ज करवा दिया है इसलिये अब तुम्हे तुम्हारे 1/24 हिस्से से बेदखल करेगे इस पर प्रार्थीनी ने हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो अप्रार्थी संख्या 3 व 6 का नाम का इन्द्राज होने पर अप्रार्थी संख्या 01 की धमकी की सत्यता की जानकारी हुयी जानकारी होने पर प्रार्थीनी ने अन्य दस्तावेजात की नकले प्राप्त की। प्रार्थीनी ने वांछित दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 3 व 6 से दिनांक 17.04.2017 को मिलकर कहा कि विवादित आराजी अपनी मोरूसी मुश्तर्का सम्पति है जिसकी आप दोनो ने रजिस्ट्री गलत करवाली मेरे हिस्सा 1/24 की आराजी मेरे नाम करवाओ इस पर अप्रार्थी संख्या 3 व 6 और उग्र हो गयी तथा प्रार्थीनी को ऐलानियॉ धमकी दी कि विवादित आराजी 1/4 हिस्से का विक्रय पत्र हमने अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 21.09.2016 को करवाकर राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित करवा लिया है इसलिये तुम्हें बेदखल कर दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगे इसलिये प्रार्थीनी को अपने हितों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी में से 1/4 हिससे की आराजी पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है जिसमें प्रत्येक का 1/24 हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 व 6 को अकेले के हक में विक्रय पत्र दिनांक 21.09.2016 को तस्दीक करवा दिया जो एब इनिशियों वोईड होने के कारण प्रार्थीनी के 1/24 हिस्से तक प्रभावहीन है लेकिन नुमायसी विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 व 6 प्रार्थीनी को बेदखल कर विवादित आराजी को विक्रय करने में सफल हो गये तो प्रार्थीनी को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असम्भव होगा तथा व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी जिसे न्याय हित में रोका जाना व अप्रार्थीगण 3 व 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि ''अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थीनी के 1/24 हिस्से की आराजी के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बेजा मजामहत न करे नही अप्रार्थी संख्या 3 व 6 विवादित आरजी में सं 1/4 हिस्से की आराजी को किसी भी प्रकार से रहन बेय, बख्शीश द्वारा हस्तान्तरित करे।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 14/03/2018 को अप्रार्थी संख्या 3, 4 की ओर से श्री शेख अनवर अली एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली। दिनांक 04/04/2018 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6 बावजूद तामिल न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 15/01/2019 को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री कैलाशचन्द जाट एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 28/01/2019 को कैलाशचन्द चौधरी एडवोकेट द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा0 दी0 का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया, जो दिनांक 11/12/2019 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्यसा 1, 5, 6 के विरूद्ध दिनांक 04/04/2018 को जारी एकतरफा कार्यवाही के आदेश मन्सुख किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 फोरमल पक्षकार हैं। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 598 सम्वत 2071 से 2074, फोटो प्रति खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029 खाता संख्या 90, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 878, फोटो प्रति विक्रय–पत्र दिनांक 21/09/2016 एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चूरू

प्रथम दृष्ट्या केस – जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 598 जो प्रार्थीया द्वारा पेश की गयी है, उसके अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1, 3 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस बाबत प्रार्थीया ने दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर विवादित आराजी में अपना हिस्सा बताते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया गया है, वही दुसरी ओर अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 ने जवाब पेश कर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया हैं। अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं विक्रय–पत्रों की फोटो प्रतियों से यह साबित है कि उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 6 को विक्रय की जा चुकी है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 व 6 विवादित आराजी के वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, चूंकि विवादित आराजीयात में प्रार्थीया के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही हो सकेगा, लेकिन वर्तमान में विवादित आराजीयात जो कि अप्रार्थी संख्या 3 व 6 के नाम से दर्ज है, इसलिये यदि अप्रार्थी संख्या 1, 3, 6 पाबन्द नही किया जाता है, तो ये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से आराजीयात का हस्तान्तरण कर सकते है, जिससे प्रकरण में बिना वजह पेचीदगीयां बढेगी, इसलिये न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हे, इसलिये प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

सुविधा का सन्तुलन – जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का अप्रार्थी संख्या 3 व 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, इसलिये यदि अप्रार्थी संख्या 3 व 6 को पाबन्द नही किया जाता है, तो ये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से आराजीयात का हस्तान्तरण कर सकते है, जिससे प्रकरण में बिना वजह पेचीदगीयां बढेगी एवं प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

अपूर्तनीय क्षति – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थीया ने बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझती हैं।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है थ्क वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1064, 1065, 1066, 1067 कुल किता 04 कुल रकबा 2.9900 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निणय आज दिनांक 02/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दूदू (जयपुर)